



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012024-251498  
CG-DL-E-19012024-251498

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]  
No. 49]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2024

सं. एल-12015/16/2023-एएस.—आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 28 की उप-धारा) 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सरकार के पिछले अनुमोदन से, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, विनियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

- (i) इन विनियमों को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।  
(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, विनियम, 2021 में विनियम 35 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए “अन्य सेवा शर्तों में, जो संस्थान के नियमित कर्मचारियों पर लागू होती हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की सेवा शर्तें भी शामिल हैं जो दो पूर्ववर्ती संस्थानों अर्थात् श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद

महाविद्यालय, जामनगर, भारतीय आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल विज्ञान संस्थान, जामनगर और स्वस्थवृत्त विभाग में कार्यरत हैं और आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी बन गए हैं।”

प्रोफेसर (डॉ.) अनूप ठाकर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./703/2023-24]

**नोट:** मूल नियम दिनांक 10 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या एल-12015/18/2021-एएस द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या एल-12015/18/2021-एएस द्वारा संशोधित किए गए थे।

## INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2024

**No. L-12015/16/2023-AS.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020), the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Regulations, 2021 namely:-

1. (i) These regulations may be called the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Amendment) Regulations, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Regulations, 2021 in regulations 35, the following explanation shall be inserted, namely :-

**“Explanation:** For the purpose of this regulation “other conditions of service” that apply to the regular employees of the Institute to also include the service conditions of every person who is employed in two antecedent institutions namely, Shree Gulabkunverba Ayurved Mahavidyalaya, Jamnagar, the Indian Institution of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, Jamnagar and Department of Swasthvirita who became the employees of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda”.

Prof. (Dr.) ANUP THAKAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./703/2023-24]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, dated the 12<sup>th</sup> January, 2022 vide notification number L-12015/18/2021-AS, dated the 10<sup>th</sup> December, 2021 and subsequently amended vide notification number L-12015/18/2021-AS, dated the 6<sup>th</sup> October, 2023.